

राजस्थान सरकार
वित्त(आर्थिक मामलात)विभाग

एफ 5(थ-75)डीटीए/आईएफएमएस/पे-मैनेजर/10194-10393 दिनांक 20/6/2013

समस्त विभागाध्यक्ष

विषय- पे-मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के वेतन संबंधित मास्टर डेटा को संशोधित कर शुद्ध करने के क्रम में ।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अभिशंषा के अनुसार राज्य कर्मचारियों का पूर्ण डेटा बेस एकीकृत मानवीय संसाधन प्रबन्धन प्रणाली (IHRMS) के अन्तर्गत तैयार किया जा रहा है जिससे राज्य कर्मचारियों से संबंधित समस्त सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें। इस डेटा बेस में पे- मैनेजर पर वेतन से संबंधित उपलब्ध मास्टर डेटा का उपयोग किया जाएगा जिससे दोहरी डेटा एन्ट्री न हो। इस हेतु यह आवश्यक है कि उपलब्ध डेटा बेस की शुद्धता सुनिश्चित की जाए जिससे तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक सूचनाएं तथा रिपोर्ट उपलब्ध हो सकें ।

पे-मैनेजर पर राज्य कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मास्टर डेटा में संलग्न प्रपत्र में दिए गए कॉलम्स के अनुसार डेटा एन्ट्री किया जाना आवश्यक किया गया है । इन कॉलम्स में यदि पूर्व में डेटा उपलब्ध है तो उसकी शुद्धता की जाँच तथा डेटा नहीं होने की दशा में शुद्ध डेटा का इन्द्राज किया जाना अपेक्षित है। इसके साथ ही मास्टर डेटा में उपलब्ध सभी कॉलम्स के डेटा की शुद्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है । यह कार्य आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2013 तक पूर्ण किया जाना है ।

अतः उक्त संदर्भ में अपने अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को पे-मैनेजर पर राज्य कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मास्टर डेटा में संलग्न प्रपत्र में दिए गए कॉलम्स के अनुसार डेटा एन्ट्री कार्य दिनांक 21.08.2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें । माह अगस्त 2013 देय सितम्बर 2013 का वेतन उक्त डेटा एन्ट्री पूर्ण किए जाने व वेतन बिलों पर डेटा की शुद्धता से संबंधित प्रमाण पत्र अंकित किए जाने पर ही आहरित किया जा सकेगा ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।


(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, वित्त(बजट)

10394 to 10434
20/6/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक(आईएचआरएमएस) निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर
2. समस्त कोषाधिकारी
3. संयुक्त निदेशक एवं प्रणाली विश्लेषक, वित्त विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें ।
4. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन आई सी, वित्त भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को समस्त आहरण वितरण अधिकारियों हेतु पे-मैनेजर की साईट पर सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाने का श्रम करें ।



संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि उपनिदेशक (IT) को प्रेषित कर लेख है कि
उक्त पत्र को IT की साईट पर अपलोड करवाने
का श्रम करें।



संयुक्त निदेशक (IFMS)

List of fields in paymanager master data which are mandatory

PERSONAL DETAILS

1	Name		Mandatory
2	Name of Hindi		Mandatory
3	Post		Mandatory
4	Gender	Male/Female	Mandatory
5	Designation	Select from designation master	Mandatory
6	Father/Husband Name		Mandatory
7	Employee ID(SIPF)		Mandatory
8	Date of Birth		Mandatory
9	Pay Commission		Mandatory
10	Post of Appointment	Select from designation master	Mandatory & Newly added column)

STATUS DETAILS

1	Status	As working,APO,suspended,retired, died,on deputation etc.(from master)	Mandatory
2	Temporary/ Permanent		Mandatory
3	Category	Gen,SC,ST,OBC,Widow,Handicap etc.(from master)	Mandatory
4	Gazetted/ Non Gazetted		Mandatory
5	Entitlement to Pension(To be capture from drop down list)	Options are : 1.defined Benefit before 1-1-2001 2.NPS from 1-1-2004 3.CPF 4. Not Yet Defined	Mandatory & Newly added column)

		5.None	
--	--	--------	--

DATES

1	Date of Joining (first appointment)	Mandatory
2	Date of Joining Regular Service	Mandatory
3	Date of Present Designation	Mandatory
4	Date of Joining present DDO	Mandatory
5	Date of Present Pay-scale	Mandatory

PAY & BANK

1	Pay Commission		Mandatory
2	Pay Scale		Mandatory
3	Basic Pay		Mandatory
4	Grade Pay		Mandatory
5	Bank a/c no		Mandatory
6	State Name		Mandatory
7	District Name		Mandatory
8	Bank Name		Mandatory
9	Bank Branch		Mandatory
10	Increment Date		Mandatory

OTHER NUMBER

1	Pran No	Mandatory
2	Gpf No	Mandatory
3	Ecpnf No.	Mandatory

Pran No or Gpf No or Ecpnf No is mandatory when applicable. i.e.
 1.defined Benefit before 1-1-2001(Gpf No.) 2.NPS from 1-1-2004(Pran No.)

PRESENT COMMUNICATION DETAIL

1	State	All masters same as in e-Gram	Mandatory
2	District		Mandatory
3	Rural/Urban		Mandatory
4	Block/Municipal Area		Mandatory
5	Gram Panchayat/Ward		Mandatory
6	Village/Street/Nagar		Mandatory
7	Home Town		Mandatory
8	House No		Mandatory
9	Pincode		Mandatory
10	Email		Mandatory
11	Mobile No		Mandatory
12	Aseembly		Newly added

PERMANENT COMMUNICATION DETAIL

1	State	All masters same as in e-Gram	Mandatory
2	District		Mandatory
3	Rural/Urban		Mandatory
4	Block/Municipal Area		Mandatory
5	Gram Panchayat/Ward		Mandatory
6	Village/Street/Nagar		Mandatory
7	Home Town		Mandatory
8	House No		Mandatory
9	Pincode		Mandatory
10	Email		Mandatory
11	Mobile No		Mandatory
12	Aseembly		Newly added

Note : Family, Scheme no, Sign, Crop Details are not Mandatory but if any detail are filled in these option then it is mandatory